दिनांक 12.12.2017 को जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा रेल ओभर ब्रिज का निर्माण कार्य एवं भू–अर्जन के संबंध में किये गये निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन।

रेल ओभर ब्रिज के निर्माण कार्य एवं भू–अर्जन से संबंधित कार्यो के संबंध में अपर समाहर्त्ता, खगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, खगड़िया, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया, जिला अबर निबंधक, खगड़िया के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के क्रम में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि रेल ओभर ब्रिज एवं संपर्क पथ के चौड़ीकरण के निर्माण हेतु मौजा–सन्हौली एवं हाजीपुर में भू–अर्जन किया जाना है। अधियाची विभाग द्वारा मौजा–सन्हौली में 52.60 एकड़ भूमि अर्जन हेतु अधियाचना भेजा गया है, लेकिन हाजीपुर का अधियाचना अभी तक नहीं भेजा गया है। उपस्थित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, खगड़िया एवं अंचल अधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि मौजा–हाजीपुर का अधियाचना प्रस्ताव यथाशीध्र भू–अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करावें।

संपर्क पथ के चौड़ीकरण हेतु अर्जित किये जा रहे भूमि के संबंध में अधियाची विभाग एवं अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में अतिक्रमण किये गये भूमि के अतिरिक्त भू–अर्जन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। अंचल अधिकारी, खगड़िया के द्वारा अतिक्रमित भूमि को मुक्त नहीं कराया गया है। अंचल अधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि अभियान चलाकर एक सप्ताह में अतिक्रमण मुक्त किया जाय। साथ ही अतिक्रमित भूमि का पूर्ण ब्योरा खाता, खेसरा, रकवा एवं चौहद्दी के साथ भू–अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करावें। निरीक्षण के क्रम में इरकॉन के सहायक एवं कनीय अभियंता के द्वारा बताया गया कि पुल का निर्माण कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण हो जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित रेल ओभर ब्रीज के साथ बनने वाले सर्विस लेन के किनारे की भूमि अर्जित की जानी है, परंतु इसमें अनेक ऐसी संरचानाएँ हैं जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमित कर बनायी गयी है। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि कुछ अवैध संरचनाएँ पर पूर्व में अभियान चलाया गया था तथा संरचनाओं को तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की गयी थी, परंतु यह कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। साथ ही यह भी देखने की आवश्यकता है कि अन्य संरचनाएँ वास्तव में निजी किस्म की है

ताकि सरकारी भूमि का मुआवजा देने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। उक्त के आलोक में अंचलाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि :–

1. सर्विस लेन के दोनों तरफ पूर्व में जिन भवनों का अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, अभियान चलाकर एक सप्ताह में तोड़ने की कार्रवाई पूरी करेंगे।
2. शेष भवनों के बारे में भी संतुष्ट हो ले कि वास्तव में वे अतिक्रमित कर नहीं बनायी गयी है। यह पुरी कार्रवाई अभियान चलाकर एक सप्ताह में सम्पन्न करायें। इसके लिए संसाधनों जैसे–ट्रेक्टर, जे0सी0बी0 आदि उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया की होगी।
3. कार्य एजेन्सी को निदेश दिया जाता है कि वे तत्काल सर्विस लेन के किनारे नाले का निर्माण कराना प्रारंभ करेंगे, जिससे उनकी भूमि का सीमांकन भी सम्पन्न होगा एवं किसी विवाद या अतिक्रमण से भी बचा जा सकेगा।

ह0/—
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 2878 /गो0, दिनांक 14-12-17

प्रतिलिपि : जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई0टी0 मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ तथा सभी संबंधित पदाधिकारी को ईमेल करने एवं जिला के वेबसाईड पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया/प्रोजेक्ट मैनेजर इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, खगड़िया/ कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, खगड़िया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया/जिला अवर निबंधक, खगड़िया एवं अंचल अधिकारी, खगड़िया एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।